अपील/ एलआर/3669/ 2003 / जिला पाली
चुन्नीलाल बनाम पन्नालाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
4–6–2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अपीलांट श्री जे.के.पंत, अभिभाषक रेस्पोडेंट **निर्णय** 1. हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–8–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2. अपील ज्ञापन के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 9–8–82 को आराजी खसरा नंबर 366 मौजा रूपावास रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा व ग्राम मुलियावास के खसरा नंबर 3 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विधिवत आवंटन अपीलांट को किया गया। आवंटन के समय से अपीलांट आवंटित रकबा पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। रेस्पोडेंट ने उपरोक्त आवंटन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राज0 कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत न्यायालय अपर जिला कलेक्टर पाली के समक्ष प्रस्तुत किया जो दिनांक 30–9–96 को स्वीकार कर अपीलांट का आवंटन निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24–8–2000 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि आवंटन 1982 का है। अपीलांट भूमिहीन कृषक है। अपीलांट का आवंटन विधिवत तौर से भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। आवंटन के पश्चात् से विवादित आराजी पर अपीलांट काबिजकाश्त चला आ रहा है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट संयुक्त परिवार का सदस्य होकर संयुक्त खाते की भूमि का बंटवारा होकर नामांतरकरण सं. 349, 132 के उपरांत अपीलांट भूमिहीन काश्तकार होने के कारण आवंटन किया गया। रेस्पोडेंट	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	शिकायती है तथा उसका विवादित आराजी में कोई हित नहीं है एवं ना ही उसका कब्जा है। अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना नहीं की है। किंतु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये अपीलांट का विधिवत आवंटन निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावे। 4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स का कथन है कि बरवक्त आवंटन अपीलार्थी के पास 54 बीघा भूमि खाते में दर्ज थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट ने तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाया, जबकि वह नियमानुसार आवंटन का पात्र नहीं था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। 5. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को किये गये आवंटन के विरूद्ध रेस्पोडेंट द्वारा शिकायत करने पर अपर जिला कलेक्टर पाली ने उसका आवंटन निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली ने खारिज की है। उक्त दोनों निर्णयों से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट का आवंटन निरस्त करने का मुख्य आधार अपने निर्णय में यह लिया है कि अपीलांट द्वारा आवंटन आवेदन में खसरा नंबर 153 व 146 की कृषि भूमि में से 4 बीघा 12 बिस्वा बारानी तृतीय कृषि भूमि हिस्से में होना अंकित किया तथा शेष किसी भी तरह की भूमि उसके नाम होना आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदियों की नकलो के अवलोकन से अपीलांट के पास पूर्व से ही 10 एकड से अधिक भूमि धारित होना स्पष्ट है तथा बरवक्त आंवटन अपीलांट भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता था। ऐसी स्थिति में अपर जिला कलेक्टर पाली ने पत्रावली में उपलब्ध समस्त सम्यक् सामग्री यथा जमाबंदियों की नकलों का अवलोकन करते हुये अपीलांट के खाते में पूर्व से ही खातेदारी भूमि होना मानते हुये उसे भूमिहीन कृषक नहीं माना है तथा उसको किया गया विवादित आराजी का आवंटन निरस्त किया है। अपीलीय न्यायालय ने भी विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण के साथ अपीलांट की अपील खारिज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	करते हुये अपर जिला कलेक्टर पाली के निर्णय का समर्थन किया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य साबित करने में विफल रहे है, जिससे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई तात्विक त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य हैं। 7. परिणामतः हस्तगत अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	